न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज०)

पीठासीन अधिकारी :-रिछपाल सिह बुरडक आर०ए०एस०
अपील संख्या :- **80/2019**
अपीलान्ट :-

1. गिरधारी सिंह पुत्र श्री रिडमल सिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम हीरावती तहसील लाडनूं जिला नागौर।

रेस्पोडेन्ट :-

1. पटवारी हल्का ओडिन्ट तहसील लाडनूं जिला नागौर।
2. नायब तहसीलदार निम्बी जोधा तहसील लाडनूं जिला नागौर।
3. पदम सिंह पुत्र रिडमल सिंह
4. लिछमण सिंह पुत्र रिडमल सिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम हीरावती तहसील लाडनूं जिला नागौर।

उपस्थित अधिवक्ता :-

श्री शेर सिंह जोधा अधिवक्ता, अपीलान्ट की और से।

अपील विरूद्ध निर्णय राजस्व प्रकरण संख्या 20/2018 दिनांक 19.12.2018 बअनवान सरकार बनाम पदम सिंह द्वारा न्यायालय उप तहसीलदार निम्बी जोधा अन्तर्गत धारा 91 राज० भू-राजस्व अधिनियम 1956

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज० भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक :- **06.08.2021**

{1} यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप तहसीलदार निम्बी जोधा के प्रकरण संख्या 20/2018 बअनवान सरकार बनाम पदम सिंह वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 19.12.2018 के विरूद्ध पेश की है।

{2} अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ओडिन्ट ने अपीलान्ट/अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय उप तहसीलदार निम्बी जोधा को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/अप्रार्थी ने ग्राम चुण्डासर के खसरा नंबर 30 रकबा 02–07 बीघा किस्म भूमि गैर मुमकिन अंगोर पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

सवंत 2075 के दौरान मिट्टी की डोल बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रखा है तथा अतिक्रमियों को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट/अप्रार्थी को राज० भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा ग्राम चुण्डासर के खसरा नंबर 30 रकबा 02–07 बीघा किस्म भूमि गैर मुमकिन अंगोर पर सवंत 2075 के दौरान मिट्टी की डोल बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने से अपीलान्ट/अप्राथी द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लंघन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। अत: अपीलान्ट/अप्रार्थी को अतिक्रमी माना जाकर ग्राम चुण्डासर के खसरा नंबर 30 रकबा 02–07 बीघा किस्म भूमि गैर मुमकिन अंगोर से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया एवं वार्षिक लगान दर से जुर्माना रूपये 53/– अक्षरे तिरेपन रूपये कायम किया गया ।

{3} अपीलान्ट ने अपनी अपील निम्न आधार अंकित करते हुए पेश की है कि :-

{3} 1. यह है कि चुनौतीग्रस्त अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 19.12.2018 को पारित करने में न्यायालय ने भारी कानूनी व वाक्याती भूल की है जो अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

{3} 2. यह है कि चुनौतीग्रस्त अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 19. 12.2018 को पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी/अपीलार्थी को उसका पक्ष रखने का अवसर ही प्रदान नही किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से आदेश दिनांक 19.12.2018 निरस्त फरमाया जाने योग्य है।

{3} 3. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय कस्बा निम्बी जोधा में स्थित है तथा प्रार्थी को दिनांक 21.08.2018 को जरिये नोटिस तलब किया गया था जो नोटिस अपीलार्थी को दिनांक 07.08.2018 को नोटिस जारी करना बताया जाकर तामिल कुनिन्दा/सवार की रिपोर्ट कि आसामी हाजिर मिला लेकिन नोटिस लेने से इन्कार किया। नोटिस की एक प्रति आबाद मकान पर चस्पा रूबरू दो मोतबिरान करना बताया गया है जबकि उक्त नोटिस अपीलार्थी एव उसके अन्य सहखातेदारान के विरूद्ध जारी करना दर्शाया गया है जिस पर तामिल कुनिन्दा किस दिनांक को उपस्थित होकर अपीलार्थी के नोटिस तामिल करवाया जाना बताया है एवं किन दो

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

मौतबिरान के समक्ष आबाद मकान पर चस्पा करना बताया गया है न तो उक्त हलिफया रिपोर्ट पर नोटिस तामिल कुनिन्दा/सवार द्वारा दिनांक अंकित की गई है एवं न ही दो मोतबिरान के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ/उनकी वल्दियत निवास आदि बताये गये है उक्त अपूर्ण सूचना नोटिस प्रथम दृष्टया देखने पर कार्यालय हाजा में ही नोटिस तामिल करना प्रतीत होता है। उक्त अपूर्ण सूचना नोटिस को प्रार्थी /अपीलार्थी को प्रकरण की सूचना होना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर उक्त आलौच्य आदेश पारित किया है एवं प्रार्थी को उचित व बराबर सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही अप्राथी/अपीलार्थी को उसका उचित पक्ष रखे बिना ही प्रकरण में आलोच्य आदेश पारित कर दिया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{3} 4. यह है अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हल्का पटवारी ओडिन्ट द्वारा दिनांक 24.07.2018 को अप्रार्थी/अपीलार्थी को अतिक्रमी होना बताया है उक्त हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर किसी प्रकार की सीमज्ञान रिपोर्ट राजस्व रेकर्ड मे दर्ज गट्ठा अनुसार प्रस्तुत नही की है एव किन किन के समक्ष उक्त अतिक्रमित बताई जाने वाली भूमि का सीमाज्ञान किया गया उक्त उपस्थित मौतबीरान के हस्ताक्षर भी सीमाज्ञान रिपोर्ट में नही है मात्र अप्रार्थी/अपीलार्थी से रंजिश रखने वाले लोगो द्वारा मनगढत एव झूठे तथ्यो पर ही गयी शिकायत पर हल्का पटवारी ने अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश ही है जो रिपोर्ट अपने आप में अपूर्ण होन से उक्त रिपोर्ट के आधार पर पारित आदेश निस्त किये जाने योग्य है।

{3} 5. यह है कि राजकीय भूमि खसरा नंबर 30 सरहद चुण्डासर के विपती हुई अप्रार्थी/अपीलार्थी की खातेदारीसूदा कब्जा सूदा भूमि खसरा नम्बर 184,188,191/315 सरहद हीरावती आयी हुई है जिस पर अपीलार्थी वर्षो से कब्जा काश्त होकर पानी का हौद एवं रहवासिया ढाणी आदि मकानात बना रखे है न कि खसरा नंबर 30 सरहद चुणडासर की भूमि पर अतिक्रमण कर किसी प्रकार का कोई मिट्टी डोल निर्मित की हो। इसलिए बिना सही तरीके से सीमाज्ञान किये ही हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई गौर फरमाये ही उक्त चुनौतीग्रस्त आदेश प्रस्तुत किया है जो खारिज फरमाया जाने योग्य है।

{3} 6. यह है कि अप्राथी/अपीलार्थी ने किसी प्रकार से कोई अतिक्रमण नही किया है अप्राथी/अपीलार्थी के खेतों की सीव पर लगी जिस डोल को अतिक्रमण होना बताया जा रहा है उक्त डोल वर्षो पुरानी है जिसमें भरी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
जैसलमेर

करकम वर्षों पुराने पेड झाड झंझाड आदि लगे हुये है जो देखने मात्र से ही वर्षों पुरानी प्रतीत होती है जो पटवारी हल्का ओडिन्ट ने गलत तथ्यों के आधार पर ही उक्त अतिक्रमण की रिपोर्ट न्यायालय श्रीमन् के समक्ष प्रस्तुत की है जिस पर सही सीमाज्ञान नही कर मात्र पटवारी हल्का रिपोर्ट के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया है जो खारिज फरमाये जाने योग्य होने से खारिज फरमाया जावे।

(3) 7. यह है कि अप्रार्थी/अपीलार्थी एक ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है जो विधि प्रकिया को पूर्ण रूप से समझने की क्षमता नही रखता है जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी/अपीलार्थी ने उक्त प्रकरण में अपनी और से अधिवक्ता की नियुक्ति करवाकर अपना पक्ष रखने से भी अधीनस्थ न्यायालय से वंचित किया है जिस कारण बिना पक्षकारों की उचित सुनवाई का अवसर दिये ही एकतरफा रूप से पारित आलौच्य निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

(3) 8. यह है कि वाके सरहद हीरावती स्थित खेत खसरा संख्या 188,184 की भूमि अपीलार्थी की शामिल खातेदारी की भूमि है जो उक्त प्रकरण में सूचना बाबत जारी नोटिस सभी खातेदारान को शामलाती जारी किया गया है जो कि पूर्णतया सुस्थापित विधि के सिद्धान्तों के विपरित जारी किया गया है एव तामिल कुनिन्दा द्वारा भी उपरोक्त शामलाती सूचना नोटिस में कहीं भी अंकित नही किया है कि किस पक्षकार ने नोटिस लेने से मना किया एवं किस पक्षकार के आबाद मकान पर चस्पा किया । विधि के आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए अपीलार्थी को बिना कोई सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किये ही उपरोक्त अपीलाधीन आलौच्य आदेश पारित किया है जो प्रथम दृष्ट्या ही खारिज फरमाये जाने योग्य है।

(4) – उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 08.08.2019 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनांक 08.08.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय के पत्र क्रमांक/राजस्व/21/90 दिनांक 19.04.2021 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस न्यायालय में प्राप्त हुई। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय की निर्णय दिनांक 19.12.2018 की प्रमाणित प्रतिलिपि, नकल आदेशिका अधीनस्थ न्यायालय, नकल पटवारी हल्का रिपोर्ट, नकल

अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

नक्शा ट्रेस, नकल नकल जमाबन्दी एवं नकल नोटिस की सत्य प्रतिलिपि पेश की है।

(5) – प्रस्तुत अपील में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.12.2018 को निर्णय पारित किया गया है तथा अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 08.08.2019 को पेश की गयी हैं। अपीलार्थी को उक्त निर्णय की जानकारी 07.06.2019 को निर्णय की प्रमाणित नकले प्राप्त करने से हुई है अपीलार्थी ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुडा हुआ व्यक्ति है तथा विधिक जानकारी नही रखता है। इस कारण अज्ञानवता वश अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत करने में देरी होने से प्रकरण में सहानूभूतिपूर्वक विचार किया जाकर प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

(6) – बहस अधिवक्ता अपीलांट सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी अपील में अंकित तथ्यों एव आधारों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 19.12.2018 को पारित करने में भारी कानूनी व वाक्याती भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस दिनांक 07.08.2018 में तामिल कुनिन्दा रिपोर्ट अपूर्ण एंव झूठी होकर कार्यालय अधीनस्थ न्यायालय में ही बनाई गई है। सभी अप्रार्थीगण को नोटिस शामलाती जारी कर दिया है जो भी विधिसम्मत नही है एव किस पक्षकार ने नोटिस लेने से मना किया है एव किस पक्षकार के आबाद मकान चस्पा किया है यह रिपोर्ट भी तामिल कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट में वर्णित नही है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत सीमाज्ञान रिपोर्ट राजस्व रेकर्ड में दर्ज गट्ठा अनुसार प्रस्तुत नही की गई एव न पटवारी रिपोर्ट पर किसी मौतबिरान के हस्ताक्षर है। अप्राथी/अपीलार्थी के खेतों की सीव पर लगी जिस डोल को अतिक्रमण होना बताया जा रहा है उक्त डोल वर्षो पुरानी है जिसमें भारी भरकम वर्षो पुराने पेड झाड झझाड आदि लगे हुये है जो देखन मात्र से ही वर्षो पुरानी प्रतीत होती है जो पटवारी हल्का ओडिन्ट ने गलत तथ्यों के आधार पर ही उक्त अतिक्रमण की रिपोर्ट न्यायालय श्रीमन के समक्ष प्रस्तुत की है। अपीलार्थी पर गलत इरादतन, राजनैतिक रंजिश वश यह कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सर्व मान्य सिद्धान्तों की अवहेलनापूर्ण होने से निरस्त करने योग्य है।

(7) – बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी हल्का नारायणपुरा की रिपोर्ट जिसके अनुसार ग्राम गुण्डासर के खसरा नंबर 30 रकबा 02–07 बीघा किस्म भूमि गैर मुमकिन अंगोर पर सवंत 2075 के दौरान मिट्टी की डोल बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रखा है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
श्रीडूंगरगढ़

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 20/2018 में दिनांक 07.08.2018 को अप्रार्थी पदमसिंह, लिछमण सिंह, गिरधारी सिंह पुत्र श्री रिडमल सिंह निवासी हीरावती को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अधीन बाबत सूचना सभी को शामलाती एक ही नोटिस जारी किया है। न्यायिक प्रकिया के अनुसार किसी भी न्यायिक प्रकरण में पक्षाकारों को बाबत सूचना दिया जाने वाला नोटिस व्यक्तिगत एव अलग-अलग जारी किया जाना चाहिए न की शामलाती, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण को एक ही शामलाती नोटिस जारी कर विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों की अवहेलना कर निर्णय पारित करते हुए भारी भूल की है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को दिनांक 07.08.2018 को नोटिस जारी किया जाना अंकित है। हमने नोटिस का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि नोटिस शामलाती जारी किया है न कि अलग-अलग। जारी नोटिस में तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट दिनांक ही अंकित नही है। तामिल कुनिन्दा ने अपनी रिपोर्ट में वर्णित किया है कि "आसामी हाजिर मिला" परन्तु कौनसा आसामी हाजिर मिला इसका वर्णन तामिल कुनिन्दा ने नहीं किया है। आगे कि " नोटिस लेने से इन्कार किया " किस पक्षकार ने नोटिस लेने से इन्कार किया ? तथा आगे तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट में वर्णित है कि "नोटिस की एक प्रति आसामी के आबाद मकान पर दौ मौतबिरान के समक्ष चस्पा की गई" परन्तु न्यायिक प्रकिया के अनुसार नोटिस की चस्पानगी की कार्यवाही बाद न्यायालय आदेश ही की जा सकती है परन्तु इस प्रकार का कोई आदेश अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नही है। नोटिस चस्पागनी दौ मोतबिरान के समक्ष आबाद मकान ही की जानी चाहिए तथा मौतबिरान का नाम, पिता का नाम व निवास स्थान स्पष्ट रूप से नोटिस पर अंकित होना चाहिए परन्तु उक्त नोटिस में मौतबिरान का नाम ही स्पष्ट नही है जो न्यायिक प्रक्रिया के विरूद्ध है।

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय भी पहले से ही टाइपशुदा परफोर्मा में लिखा गया है जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/अप्रार्थीगण को प्रकरण में अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान नही किया है जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो के विपरित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत प्रतीत नही होता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोधपुर

-:आदेश:-

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि अपीलांट को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 06.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुहर से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)